

ORDER SHEET

II-155
C.J.(E)

THE COURT

1 of 2016
H.M.A

Date of
order or
Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of
Parties or
Pleaders where
necessary

10/07/2017

आवेदक द्वारा श्री पी.के. वर्मा अधिवक्ता उप.।
अनावेदिका द्वारा श्री रमेशबाबू दोदेरिया अधि उप.
आवेदक की ओर से मूल याचिका के जवाब के समय
अदा की जाने वाली राशि पांच सौ रुपये अदा नहीं की गयी
। इस हेतु अवसर चाहा गया । अनावेदिका की ओर से
आपत्ति की गयी ।

उभयपक्ष को सुने जाने एवं प्रकरण का अध्ययन करने से
स्पष्ट है कि दि०-20/01/017 के आदेश से प्रकरण के
व्यय के रूप में कुल दो हजार रुपये की राशि अनावेदिका
को दिलाये जाने का आदेश किया गया है जिसमें से पांच सौ
रुपये मूल याचिका के जवाब प्रस्तुति के समय, पांच सौ
रुपये आवेदक की साक्ष्य प्रारंभ होने पर और एक हजार
रुपये स्वयं की खण्डन साक्ष्य के स्तर पर प्रकरण नियत होने
पर आवेदक द्वारा अनावेदिका को प्रदान किए जाने का
आदेश किया गया है।

परंतु तब से पांच माह से अधिक की अवधि व्यतीत हो
चुकी है और 06 तारीख पेशियां गुजर चुकी हैं, उसके
बावजूद भी आवेदक के द्वारा जवाब प्रस्तुति के स्तर की राशि
पांच सौ रुपये अदा नहीं की गयी है, पिछली दिनांक को
जवाब प्रस्तुति के समय की राशि पांच सौ रुपये अदा न
करने पर प्रकरण निरस्त कर दिये जाने का आदेश कर दिया
गया था।

चूंकि आज भी आवेदक के द्वारा राशि अदा नहीं की
गयी है। अतः यह प्रकरण राशि अदा न करने व न्यायालय
के आदेश का पालन न करने के कारण निरस्त किया जाता
है।

मेमो ऑफ कोस्ट तैयार किया जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(मोहम्मद अजहर)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद